यादव,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स श्री कमला ऑटोमोबाइल्स, पार्टनर–श्री अभिषेक कुमार, पिता–श्री बीरेंद्र कुमार यादव, ग्राम+पोस्ट–फुलवरिया, थाना–मकेर, जिला–सारण द्वारा सोन नदी स्थित "सैंड ब्लॉक–09" बालू घाट, मौजा–सारीमपुर बछरी, पोस्ट+ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 22.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय संदेश, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2300/2023, dt. 16.02.2023 के आलोक में श्री निरोज कुमार भगत, नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 22.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 20.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव / विचार / मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री बिपिन प्रसाद ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (510 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री सुमेश कुमार सिंह, ग्राम–तारीकपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क के किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाये जाये। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जाय। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जाय।
2.	श्री योगेन्द्र नयन, ग्राम– सरीमपुर बछरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि ट्रैफिक जाम से काफी परेशानी होता है। सड़क पर बालू गिरने से साईकिल एवं मोटर साईकिल को आने–जाने में दुर्घटना की संभावना रहती है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सूखा बालू ही गाड़ी पर लादा जायेगा एवं गाड़ी को तिरपाल से ढक्कर ले जायेंगे। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। संवेदक द्वारा उनके घाट से सामने रोड पर पड़े बालू को हटाया जायेगा।
3.	श्री चन्द्रेखर प्र0 राय, ग्राम–सरीमपुर बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि गाड़ी को तिरपाल से ढक्कर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाया जाय। नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जाया जाय।
4.	श्री सुनील कुमार, ग्राम–सरीमपुर बछरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि श्रमिकों को प्रदूषण से बचने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि श्रमिकों को सुरक्षा कीट (मास्क, बूट, Ear Plug इत्यादि) उपलब्ध कराया जायेगा।

5.	श्री सुमन यादव, ग्राम–सरीमपुर बछरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन के दौरान परिवहन से बालू खेत में जायेगा, उसका क्या निदान किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू के परिवहन के दौरान पहुँच–पथ के दोनों ओर 300 मी0 तक जल–छिड़काव सुनिश्चित किया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से राजस्व की प्राप्ति होती है। इस राशि का 2% राशि मिशन कायाकल्प के तहत् प्रभावित क्षेत्र के विकास में उपयोग होता है। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। मिशन कायाकल्प के तहत् प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

नगर आयुक्त,
नगर निगम आरा, भोजपुर

मेसर्स श्री कमला ऑटोमोबाइल्स, प्रो०-श्री अभिषेक कुमार, द्वारा सोन नदी स्थित ''सैंड ब्लॉक-09'' बालू घाट, मौजा-सरीमपुर बछरी, पोस्ट-संदेश, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय संदेश, संदेश, दिनांक: 22.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री निरोज कुमार कान्त	भगत आयुक्त, भोजपुर, [illegible]	[illegible] 22/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	से०प०रा० प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	[illegible] 22-6-23
3.	आनन्द प्रकाश	सचिव विभाग पदाधिकारी [illegible]	[illegible] 22/06/23
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	अमित कुमार सिंह	oceo Enviro.	[illegible] 22/06/23
6.	सुमन कुमार	सिकरूपुर दिहवारा सारण	सुमन कुमार
7.	रामबाबू सिंह	ग्राम- रामपुर [illegible]	[illegible]
8.	मुन्ना कुमार	छपरा	मुन्ना कुमार
9.	पशुपति राय	संदेश	पशुपति राय
10.	[illegible] राम	सलेमपुर	[illegible]
11.	दिनेश राय	सलेमपुर संदेश, भोजपुर	[illegible] 22.06.23
12.	सुमन राय	संदेश	सुमन राय
13.	मुन्ना कुमार	सरीमपुर	मुन्ना कुमार
14.	बबन राय	संदेश	बबन राय
15.	हरिमोहन सिंह	सलेमपुर	हरिमोहन सिंह
16.	विनोद कुमार राय	सिकरहटा	विनोद कुमार राय
17.	विजय प्रसाद	नारायणपुर	विजय प्रसाद
18.	लाल राय	संदेश	लाल राय

19.	संजीत राय	सरीमपुर बखरी	[illegible]
20.	[illegible]	सरीमपुर बखरी	[illegible]
21.	अजय राय	सरीमपुर बखरी	[illegible]
22.	त्रिलोक कुमार यादव	[illegible]	Trilok Kumar Yadav
23.	[illegible] सिंह	[illegible]	
24.	राम कुमार [illegible]	[illegible]	
25.	Raj Kumar	[illegible]	[illegible]
26.	[illegible] Narayan	[illegible]	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible] सिंह	सारीपुर	[illegible] सिंह
29.	[illegible] कुमार	सारीपुर	[illegible] Kumar
30.	[illegible] कुमार	[illegible] गाँव	[illegible]
31.	[illegible] कुमार	सारीपुर	[illegible] कुमार
32.	[illegible]	[illegible]	
33.	Sunil kumar	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible] Kr Singh	[illegible]	[illegible] Kum Singh
35.			
36.	[illegible]	[illegible]pur	[illegible]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.			
39.			
40.			